

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी आयकर अपील संख्या 55/2018

श्रीमती लीला देवी बम्ब , 117, शीतल माता मार्केट, कुम्हार मोहल्ला , बिजयनगर

----अपीलकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 1, ब्यावर ।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री गुंजन पाठक,
श्री आदित्य बोहरा,
सुश्री इशिता रावत
श्री कनिष्क सिंघल
सुश्री प्रियांशी रूंगटा
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री अनुराग माथुर,
श्री शांतनु शर्मा के लिए

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

निर्णय

अवनीश झिंगन, जे

29/08/2024

- यह अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 08.12.2017 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें अपील को खारिज कर दिया गया था।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के दौरान, अपीलकर्ता कमोडिटी एक्सचेंज लेनदेन में संलग्न था। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलकर्ता के बैंक खाते में जमा की गई अस्पष्टीकृत नकदी में 56,30,000 /- रुपये की वृद्धि की। अपीलकर्ता प्रथम अपील और न्यायाधिकरण के समक्ष असफल रहा। अतः, वर्तमान अपील।
- निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर अपील दिनांक 04.04.2022 को स्वीकार की गई

"क्या विद्वान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर न लेने का कोई कारण न बताना विधिक रूप से उचित था, जिसे अपीलकर्ता द्वारा सीआईटी (अपील) के समक्ष दायर किया गया था, लेकिन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया था।"

4. अपीलकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र मुद्दा यह है कि गणना की एक प्रति, बैलेंस शीट; संबंधित वर्ष के दौरान हानि/लाभ उठाने वाले पक्षों की सूची; करदाता का हलफनामा, पक्षकारों के बयानों के साथ भुगतान के बिल और रसीदों के साथ ग्राहकों का हलफनामा एओ/सीआईटी (ए) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इस पर विचार नहीं किया गया।

5. यह आधार अनुलग्नक-3, यानी न्यायाधिकरण के समक्ष दायर पेपर बुक की अनुक्रमिका पर आधारित है, जिस पर न्यायाधिकरण की मुहर लगी है और अंतिम पंक्ति में लिखा है कि ये दस्तावेज़ कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान एओ/सीआईटी(ए) के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तर्क यह है कि प्रस्तुत दस्तावेज़ 56,30,000 /- रुपये की नकद जमा राशि की व्याख्या कर रहे थे।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया है। उनका तर्क है कि परिवर्धनों को स्पष्ट करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज़ न तो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष और न ही अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा दलीलों का अवलोकन किया गया।

8. यह नोट करना उचित होगा कि बहस के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने पेपर बुक की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें हलफनामों की मूल प्रतियां हैं। इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है कि यदि ये हलफनामे मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष दायर किए गए थे, तो मूल वकील के पास कैसे हैं। सीआईटी (ए) और ट्रिब्यूनल के आदेशों से यह पता चलता है कि मूल्यांकन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पेश किए जाने का दावा किए गए दस्तावेजों को अपील का फैसला करते समय ध्यान में नहीं रखा गया था। सीआईटी (ए) ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि नकद जमा की व्याख्या करने के लिए अपीलकर्ता

द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था और ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष भी कुछ ऐसा ही है। परिणामस्वरूप, अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द किया जाता है और एओ/सीआईटी (ए) के समक्ष दावा किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद कानून के अनुसार अपील का नए सिरे से फैसला करने के लिए मामला वापस भेज दिया जाता है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह न्यायालय न तो इस पर टिप्पणी कर रहा है कि क्या ये दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, न ही इस पर कि यदि आवश्यक हो तो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मूल हलफनामे दाखिल न करने के क्या परिणाम होंगे।

10. मूल प्रश्न का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में दिया गया है और तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

रिया/सुनीता/118

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी